136

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक

III/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4182

श्यामलाल तनय सरजू कोल उम्र 55 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी ग्राम सुअरहा, तहसील नईगढी जिलारीवा म0प्र0 --- निगरानीकर्ता

बनाम

1- भैयालाल पिता महावीरसाहू उम्र 50 वर्ष,

2-फल्लू पिता महावीरसाहू उम्र53वर्ष

दोनो निवासीगण ग्राम सुअरहा, तहसील नईगढीजिलारीवाम0प्र0

--- गैरनिगरानीकर्तागण

श्री अरुण कुमार साहू द्वारा आज दि. 6-11-17 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट 6/11/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पे0दि- 14-11-17

निगरानी विरुद्धनिर्णय व आदेश तहसीलदार सर्किल सर्रा तहसील नईगढी जिलारीवा म0प्र0 के रा0प्रकरण क्रमांक 15अ/6 अ/13-14 मेपारित आदेश दिनांक 21 -7-14

---

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहितास सन 1959ई0

---

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त केखिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्यहै।

2- यहकि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा आ0 खसरा क्रमांक 327 , का नक्शा तर्मीम का आवेदनपत्र अधीनस्थ न्यायालय केसमक्ष प्रस्तुत

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4182

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16-11-17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सर्किल ख़र्रा तहसील नई गढ़ी जिला रीवा के प्रकरण कमांक 15/अ-6/अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2014 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। निगरानी के साथ उनके द्वारा धारा-5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।<br>2-प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है अनावेदकगण द्वारा आराजी खसर कमांक 327 का नक्शा तर्मीम का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत था जो प्रकरण पंजीवद्व कर आवेदक को सूचना दी जाकर मौके पर नक्शा तरमीम का प्रस्ताव बनाया गया था जिसमें नजरी नक्शा, सलि पंचनामा एवं प्रतिवेदन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके पर कब्जे के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नक्शा तर्मीम के प्रस्ताव के विपरीत आदेश पारित कर आवेदकगण | |

के कब्जे वाली जमीन पर अनावेदकगण के पक्ष में नक्शा तरमीम का आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी होने पर निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रस्तुत तर्मीम प्रस्ताव के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जिसे सुधार कर तर्मीम प्रस्ताव के अनुसार एवं प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं मौके पर कब्जे के आधार पर तर्मीम आदेश पारित करें किन्तु अधीनस्थ ने आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया, इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का खसरा कमांक 327 / 3 रकवा 0.221 है0 भूमि का भूमिस्वामी है, जो बंटन के तहत प्राप्त किया है, तथा मौके पर मकान बनाकर व शेष जमीन पर निस्तार कर कब्जा किये हुये है जबकि अनावेदकगण के पक्ष में खसरा कमांक 327 / 2 में उस रकवे को तर्मीम कर दिया है जो त्रुटि पूर्ण हे क्यों कि जो नजरी नक्शा मौके से बनाया गया था, जो निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर बने हुये हैं, एवं स्थल पंचनामा में दस्तखत निगरानीकर्ता के एवं अनावेदकगणों के हस्ताक्षर बने हैं जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त तर्मीम प्रस्ताव से निगरानीकर्ता एवं अनावेदकगण

सहमत थे एवं मौके पर कब्जे के अनुसार तर्मीम प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने किस प्रस्ताव के आधार पर गलत नक्शा तर्मीम का आदेश पारित किया है जबकि न तो ऐसा कोइ प्रसतासव था, और ना ही अनावेदकगण ने ऐसी कोई आपत्ति प्रसताव के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण था व निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि आवेदक एक आदिवासी व्यक्ति है और उसका विवादित आराजी बंटन में मिली है और उसी में निगरानीकर्ता का मकान बना है एवं खाली जमीन पर जरिये निस्तार काबिज है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 5.1.08 एवं 21.7.14 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न धारा–5 का आवेदन समाधान कारण होने से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा

तहसीलदार के न्यायालय में दिनांक 21.7.17 को नक्शा तरमीम दुरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि पूर्व दिनांक 9.1.08 को किया गया एवं दिनांक 5.1.08 को किया गया तरमीम सही है अथवा त्रुटिपूर्ण इसे सुधार करने की अधिकारिता नहीं होने के कारण नहीं किया गया है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक की आराजी कमांक 327 / 3 रकवा 0.221 है0 का भूमिस्वामी है जो उसे बंटन में प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार अनावेदक की आराजी कमांक 327 / 2 रकवा 0.221 है0 भूमि की नक्शे में लाल स्याही से तरमीम की जुकी है। अतः पूर्व आदेश दिनांक 5.1.08 एवं 21.1.14 को किया गया तरमीम निरस्त करते हुये तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि एक दल गठित कर मौके पर भेजकर कब्जे के आधार पर नक्शा तरमीम उभयपक्ष के समक्ष की जावे। आवेदक की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिला रिकार्ड हो।

सदस्य